



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास

दिनांक- 28.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **थाना खुर्जा नगर** पर डरा धमकाकर आमजनमानस में भय व्याप्त करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-11/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त **योगेश उर्फ विक्की** पुत्र राकेश निवासी अहीरपाडा थाना खुर्जा नगर को मा०न्याया० कोर्ट एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



श्री योगेश कुमार
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



का० जितेन्द्र
(पैरोकार)



है०का० नीरज
(कोर्ट मोहर्रि)